न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) कालपी, जनपद जालौन।

मूलवाद सं0 09/2012,

घूरन खॉ बनाम सहदेव उर्फ लाला आदि।

21.05.2019

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर पक्षकार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 38ग2 पर सुना गया।

वादीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 38ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में वादी का प्रार्थनापत्र सं0 26क1 बावत संशोधन कोर्ट फीस दिनांक 13.11.16 को मंजूर हो चुका है। चूंकि 06.12.2017 से 09.03.2017 तक वकील साहब हड़ताल पर रहे। उसके बाद दिनांक 08.05.2017 से 25.07.2018 तक न्यायालय रिक्त रहा। इस वजह से प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश दिनांक 03.11.2016 का अनुपालन नहीं कर सके। अतः याचना किया गया है कि आदेश दिनांक 03.11.2016 के समय में वृद्धि करने की कृपा की जाये ताकि वादीगण संशोधन प्रार्थनापत्र बावत कोर्ट फीस कागज सं0 26क1 के तहत अर्जीदावे में संशोधन कर सके।

प्रतिवादी द्वारा मात्र हर्जे पर आपत्ति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांक 03.11.2016 को संशोधन प्रार्थनापत्र बावत कोर्ट फीस स्वीकार किया गया था। वादी द्वारा समय से उक्त प्रार्थनापत्र में संशोधन नहीं कर सका। अतः न्यायहित में वादी का प्रार्थनापत्र 38ग2 हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वादीगण का संशोधन प्रार्थनापत्र 38ग2, मुब0 100/—रूपए हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। वादी अविलम्ब संशोधन करें। पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 12.07.2019 को पेश हो।

सिविल जज (जू0डि0) कालपी